IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 3, December 2025 Impact Factor: 7.67

समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की भूमिका

शबीना शेख़[1] and डॉ. भूपेंद्र सिंह चौहान[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र विभाग

[2]शोध निर्देशक, शिक्षा शास्त्र विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ने सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराकर शिक्षा के लोकतांत्रिककरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस अधिनियम ने विशेष रूप से समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुआयामी प्रावधान किए हैं, जिनमें वंचित समूहों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण, दिव्यांग बच्चों हेतु विशेष शिक्षण संसाधन, बाल-मैत्रीपूर्ण वातावरण का निर्माण, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता और भेदभावरहित शिक्षण वातावरण को सुनिश्चित करना शामिल है।

आरटीई अधिनियम का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बच्चा—चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो, सामाजिक रूप से हाशिये पर हो, दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार की विविध पृष्ठभूमि से आता हो—मुख्यधारा शिक्षा का समान रूप से लाभ उठा सके। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आरटीई ने न केवल शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाया है, बल्कि शिक्षण की गुणवत्ता, सामाजिक समावेशन और समान अवसर की अवधारणा को भी मजबूत बनाया है। यद्यपि क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी, शिक्षक-प्रशिक्षण की चुनौतियाँ और संरचनात्मक सीमाएँ जैसी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं, फिर भी यह अधिनियम भारत में समावेशी शिक्षा की दिशा में निर्णायक परिवर्तन का आधार प्रस्तुत करता है।

मुख्य संकेतक: - समावेशी शिक्षा, बाल-मैत्रीपूर्ण शिक्षण, शिक्षक-प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता।